भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER,Shillong – 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई–मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

जन सूचना संख्या 02/2018

शिलांग, दिनांक 21 मार्च, 2018

विषय: ईसंचित का कार्यान्वयन- संबंधी

सभी ईडीआई स्थानों पर ईसंचित आवेदन को विस्तारित करने के लिए सभी संबंधित का ध्यान 13 फरवरी, 2018 के जन सूचना संख्या.01/2018 पर आमंत्रित किया गया है।

2. वर्तमान में ई संचित केवल स्वैच्छिक आधार पर है। हालांकि, सीबीईसी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि लगभग 800 से 900 दस्तावेजों को दैनिक आधार पर अपलोड किया गया है, जो कि लगभग 300 से 400 बिलों को कवर कर सकता है। स्टेक होल्डर से भागीदारी का यह अभाव गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

3. उसी के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि यह नोटिस जारी करने की प्रभावी तारीख से दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए सीमा शुल्क ब्रोकरों / स्वयं फाईलरों के लिए अनिवार्य है। उन कस्टम ब्रोकरों और स्वयं फाइलर्स जो ई-संचित के तहत एक भी बिल फाइल नहीं किए हैं, उन्हें उसके बाद आइसगेट (ICEGATE) पर दस्तावेजों को फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. ई-संचित के कार्यान्वयन के साथ सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। यह महज एक आईटी परियोजना नहीं है, जो डीजी (सिस्टम) द्वारा लागू किया जा रहा है। ईडीआई साईट के प्रभारी सहायक आयुक्त / उप आयुक्त भी परियोजना के सक्रिय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित को भी सुनिश्चित किया जाएगा |

क) जब कोई भी दस्वातेज ई-संचित के रूप में मौजूद हो तो कोई भी अधिकारी हार्ड कॉपी दस्तावेज लेने हेतु आग्रह नहीं करेगा। निर्धारण के समय अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेजों की हार्डकॉपी सीबीईसी परिपत्र 40/2017- सीमा शुल्क दिनांक 13-10-2017 में उल्लिखित ई-संचित प्रकिया के अनुरूप पालन किया जाएगा ।

ख) क्लेरेंस के लिए अलग-अलग काउंटर रखे जाएंगे, जिसमें मूल दस्तावेजो की जांच संबंधी अनिवार्य मामले के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी (उदहरण जैसे, मूल प्रमाणपत्र) ताकि व्यापारी वर्ग केवल उन काउंटरों पर जाकर प्रासंगिक हार्डकॉपी जमा कर सके। यहां तक कि मंजूरी से पहले ई-संचित पर भी ऐसे दस्तावेजों को अपलोड किया जाना चाहिए।

ग) संबंधित उचित अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्यों, अपलोड किए गए दस्तावेजों पर आधारित होंगे। अगर विवादों को हल करने या निर्णय लेने के लिए एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की जाती है, तो एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

5. इसमें आने वाली कठिनाईयों, को इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाए |

(प्राधिकार: सीबीईसी पत्र डी.ओ.एफ.सं 450/16/2015/- सीमा IV दिनांक 23 -02-2013)

(वंदना देवरी)

आयुक्त

Scanned by CamScanner

C.No. VIII (48) 25/CUS/TECH/2006 /4635-58(A)

प्रति सूचना हेतु: dated 22. MAR. 2018

1. मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, शिलांग जोन, शिलांग |
   The Chief Commissioner, CGST & Customs, Shillong Zone, Shillong
2. आयुक्त, सीजीएसटी आयुक्तालय, अगरतला/ आइज़ल/दिमापुर/डिब्रूगढ़/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ ईटानगर/ शिलांग |
   The Commissioner, CGST Commissionerate, Agartala/Aizawl/ Dimapur/Dibrugarh/Guwahati/Imphal/ Itanagar/ Shillong
3. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला/ आइज़ल/धुबरी/दिमापुर/ गुवाहाटी/ इम्फाल/ करीमगंज/ शिलांग से निवेदन किया जाता हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी संबंधितों को सूचित करे|
   The Deputy/Assistant Commissioner, Customs Division, Agartala/Aizawl/Dhubri/Dimapur/Guwahati/Imphal/ Karimganj/ Shillong with a request to bring to the notice of all concerned in their jurisdiction.
4. उप आयुक्त, आईसीडी अमीन गाँव को कार्यान्वयन हेतु एवं आईसीडी में सीमा शुल्क ब्रोकर/ आयातकर्ता/ निर्यातकर्ता को सूचित करे| उच्च अधिकारियों को दिनांक 27-03-2018 तक स्थिति तक अवगत कराया जाए|
   The Deputy Commissioner, ICD Amingaon for implementation and to bring it to notice of Customs Brokers/ Exporters/ Importers/ at the ICD. The status of preparedness may also be indicated by 27.03.18 for onward communication to higher authorities.
5. उप प्रबंधक, सीओएनसीओआर, आईसीडी अमीनगाँव, गुवाहाटी-781031
   The Deputy Manager, CONCOR, ICD Amingaon, Guwahati-781031
6. उप/ सहायक आयुक्त, मोरेह एलसीएस, अगरतला एलसीएस |
   The Deputy/ Assistant Commissioner, Moreh LCS, Agartala LCS
7. अधीक्षक , कंप्यूटर सेल, सीमा शुल्क, शिलांग को इस जन सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए |
   The Superintendent, Computer Cell, Customs Hqrs, Shillong to upload the contents of this Public Notice to the Commissionerate website.
8. गार्ड फाइल/Guard file |

(सुभादिप चौधुरी)
अधीक्षक (तकनिकी)

Scanned by CamScanner